

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-

121/16-h

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-रा0म0नि0-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- 2011 थाना- 346 खाता संख्या- 45 प्लॉट संख्या- 83 रकबा- 2.003 एकड़ की भूमि जो गैरमजदूरा खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा की पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- पर जमाबंदी रयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना बाछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गति कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-15/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

## संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :-

इहीम सिंह

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

5102 जान सिंह

मौजा खाना सं० खाता सं० प्लॉट सं०  
बहेमा 846 45 83

रकबा 2.03 ए

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०- 58/2 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 02/2003

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :-

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आदेश (अनियमित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवेध सूचनोपपत्ती) - 72/02/2003

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल सिद्धा/वेचनोपपत्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या लगान रसीद संख्या रसीद निर्गत तिथि  
F 4939 353 11/8/11

वसूली वर्ष  
2002-03 & 2011-12

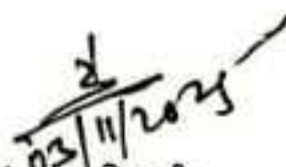
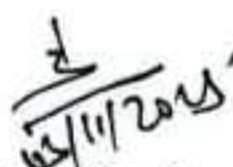
*Signature*

| आदेश की<br>क्रम सं०<br>और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई<br>कारवाई के बारे में<br>टिप्पणी, तारीख<br>सहित |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                              | 3                                                             |

आफिलेन उपस्थापित किया गया।  
प्रतिवादी — उपस्थित नहीं हुआ।  
अतः पुनः द्वितीय नोसीस  
निर्गत करें, तथा निविदा  
करें।

  
मन म

पर को नोट  
के बारे में  
नोटिस

| आदेश की<br>क्र०स० एवं<br>तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आदेश पर<br>कार्रवाई की<br>टिप्पणी<br>सहित |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                         |
| 03/11/2025                    | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैर० खास खाता सं०-45, प्लॉट सं०- 83 रकबा 2.03 ए० पर इद्रीस मियां पत्नि नाजरीन बीबी पिता रजाक मियां के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं० 129/02-03 के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2003 को मौजा-रहेया थाना नं०-345 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-45, प्लॉट सं०- 83 रकबा- 2.03 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत इद्रीस मियां पत्नि नाजरीन बीबी पिता रजाक मियां के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं० 58/2 पर दर्ज होकर वर्ष 2011-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।”</p> <p>अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई <u>समाप्त</u> की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div><div><br/>अंचल अधिकारी,<br/>मनातू।</div><div><br/>अंचल अधिकारी,<br/>मनातू।</div></div> |                                           |

अंचल अधिकारी, मनातु का कार्यालय  
बाद अभिलेख संख्या .....121...../2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)  
नोटिस

बनाम इ.पी.म. सिपा 5/0 शमातु सिपा

2/10 2 हैप्ता

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा 2 हैप्ता थाना नं० 346  
खाता नं० 115 खेसरा नं० 83 रकबा से संबंधित आपके नाम से होठ नं०  
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक  
माध्यम से जॉचोपरान्त संधिन्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 05/11/24 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म  
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं त  
साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ  
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क  
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के  
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

3  
21/10/2024  
अंचल अधिकारी  
मनातु पलामू

रहेगा में, अनंत अधिकारी  
मनाहू, पलाशू।

विषय :- अर्द्ध सहस्राब्दी जमावड़ी डेरा नं० 12  
डा ऑन्य प्ररिदेन के संबंध में।

महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में डेरा में ठी मौजा

रहेगा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्सा डा  
मिलान डेरे अनंत अनीन के सान स्थली ऑन्य  
डिगा। ऑन्य के पाजा डि गैर खार खारा सं 45

हॉट सं 83 रक्का 2.03 रु पर इडिस् मिला पलि  
नाजरीन वीवी पिता रजातु मिला के डार ओर-बीड-  
मिला आ रहा हैं। डनते डार ऑन्य के दौरान

वरोवरनी चर्चा एवं निर्गत स्वीद मन्तुन मिला  
गला हैं जिससे पता चलता है कि अनुगठल

पदाधिकारी के वरोवरनी वार सं 129/2002-03

के अन्तर्गत दिनांक 11-07-03 को मौजा रहेगा

धाना नं० 345 के अन्तर्गत डमर खारा सं

45 हॉट सं 83 रक्का 2.03 रु की वन्दोवरनी

डमर डैण्ड इडिस् मिला पलि नाजरीन वीवी

पिता रजातु मिला के नाम से हुआ है

जिसका जमावड़ी मौजा रहेगा के मांग पंजी

II के पेज सं 58/II पर रज होकर वर्ष 2011-12

तक स्वीड निर्गत हो रहा है। डर प्रकार डमर

जमावड़ी सहस्राब्दी। अर्द्ध प्ररीत नहीं होता

है। डर डमर जमावड़ी को सहस्राब्दी। अर्द्ध

जमावड़ी के डमर मिला आ सकता है।

पुनर्गठन  
कागजात  
रज  
+ 14

निश्चालन  
- वीरेड डीमि  
रज  
हस्ता-11

Sch. XIV-F.No. 180V

जिला का नाम पलामू

अनुमण्डल का नाम अंकेमण्ड

अंचल का नाम जमशेदपुर

नाम सर्कल। नाम मौजा मय रुहेया

धाना वो धाना नम्बर अ-15/345

V

रसीद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रैयती

नाम रैयत मय वल्लियत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर JB 41 4939883

१-११-५८  
II

| खाता संख्या        | खेसरा संख्या |
|--------------------|--------------|
| 45 रत्ना 2-83 रकना | 02.03 र      |

| अरुजो नकदी              | अरुजो भावली | तफसील हिसाब लम्पन भावली |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| इलीशमिया पलिन जमशेदपुरी | रज/क/मिया   |                         |

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

| मांग बाबद        | सालाना | बकाया              |          |          |          | हाल   |
|------------------|--------|--------------------|----------|----------|----------|-------|
|                  |        | तीन वर्ष से ज्यादा | 3रा वर्ष | 2रा वर्ष | 1ला वर्ष |       |
| माल } (नकदी)     | 25.00  |                    |          |          | 100.00   | 25.00 |
| गुजारी } (भावली) | 6.25   |                    |          |          | 25.00    | 6.25  |
| संस              | 12.50  |                    |          |          | 50.00    | 12.50 |
| *सूद             | 12.50  |                    |          |          | 50.00    | 12.50 |
| मुतफरकात         | 6.25   |                    |          |          | 25.00    | 6.25  |
| मौजान            | 62.50  |                    |          |          | 250.00   | 62.50 |

W.P.

तफसील अदायकारी

| अदायकारी बाबद    | तीन वर्ष से ज्यादा | बकाया    |          |          |               | मौजाला बा हाल | फाजिल  |
|------------------|--------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|--------|
|                  |                    | 3रा वर्ष | 2रा वर्ष | 1ला वर्ष | मौजाला बा हाल |               |        |
| माल } (नकदी)     |                    |          |          | 100.00   | 25.00         |               |        |
| गुजारी } (भावली) |                    |          |          | 25.00    | 6.25          |               |        |
| संस              |                    |          |          | 50.00    | 12.50         |               |        |
| *सूद             |                    |          |          | 50.00    | 12.50         |               |        |
| मुतफरकात         |                    |          |          | 25.00    | 6.25          |               |        |
| मौजान अदायकारी   |                    |          |          | 250.00   | 62.50         |               | 312.50 |

(1) मौजान कुल (लफजों में) तीन श्लोक 42 रु 29 प 4 फ 10 प 10

(2) नाम देहिन्दा रेशम

(3) कुल बकाया-

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील बुन्दिष्ठा।

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मोदितीका जिला पलामू

गैर मजरुआ आर्म्/मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि /आवास के लिये

बन्दोबस्ती केस संख्या - 129/2002-03

परवाना संख्या - 17

बन्दोबस्ती की नाम इ.एम. मिश्रा पॉल गोउरीनवीर पिता का नाम रज्जु मिश्रा

ग्राम रहमा थाना मोदीतीका जिला पलामू

### बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

| ग्राम       | खाता नं०  | खेसरा नं०                      | रकबा        | चौहदी                   | लगान             |
|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| <u>रहमा</u> | <u>45</u> | <u>83</u>                      | <u>2.03</u> | <u>30 मारवासरवाल</u>    | <u>25=00/1</u>   |
| <u>345</u>  |           | <u>दे.एच.डी. गिन 3.4 मि.मि</u> |             | <u>40 हाट्ट म.म.म.</u>  | <u>प्रतिवर्ष</u> |
|             |           | <u>म.म.म.</u>                  |             | <u>पू० न.म.</u>         | <u>अलावे सेस</u> |
|             |           |                                |             | <u>प० सीमाता म.म.म.</u> | <u>वगैरह</u>     |

### बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्त के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

1. बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दस्तावेज नार्पी कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
2. बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस वगैरह नियमित रूपसे प्रतिवर्ष अदाय करेंगे/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
3. बन्दोबस्त की गई जमीन विरासत के योग्य किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तान्तरण वैध नहीं होगा।  
बन्दोबस्त भूमि की सांख्यिक वित्त अनुसूचित बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर

अंचल पदाधिकारी

अनुमंडल पदाधिकारी